कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय कासगंज

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय कासगंज के दुर्गा कालोनी, पुरानी मुंसीफी एवं मामों स्थित न्यायालय परिसर में खडे सूखे पेड़ों (अयोग्य) जिनका प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज द्वारा पत्र सं0 1128 / 22-1 दिनांक कासगंज नवम्बर 23, 2021 प्रेषित आख्या निम्नवत है-

1. कटे पापड़ी के वोटों का मूल्यांकन -

क्रम सं	प्रजाति	सूखा वोटा की गोलाई (से.मी.)	वोटा की लम्बाई (से.मी.)	आयतन घ.मी.
1	पापडी	80	215	0.0860
2	पापडी	75	185	0.0650
3	पापडी	70	215	0.0627
4	पापडी	55	215	0.0406
			योग	0.2543

वास्तविक आयतन- 0.06357 दर 7636.00 = 485.00 रुपये

2. सूखे खडे अयोग्य वृक्षों का मूल्यांकन -

क्रम सं0	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	कुल आयतन	अयोग्य एवं सूखा होने पर वास्तविक आयतन	दर प्रति घ.मी.	मूल्यांकन धनराशि
1	पापडी	2	2.572	0.643	7636.00	4910.00
2	शीशम	4	1.756	0.439	21708.00	9530.00
3	पिलखुन/गूलर	2	2.830	0.7075	4838.00	3423.00
					योग	17863.00

3. यूकेलिप्टस वृक्ष को मूल्यांकन -

क्रम सं0	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	कुल आयतन	अयोग्य एवं सूखा होने पर वास्तविक आयतन	दर प्रति घ.मी.	मूल्यांकन धनराशि
1	यूकेलिप्टस	6	4.341	3.255	3624.00	11799.00
					योग	11799.00

क्रम स0 1 से 3 तक कुल मूल्यांकन धनराशि 30147.00 रुपये (तीस हजार एक सौ सैतालिस रुपये)।

उक्त नीलामी की कार्यवाही को पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 06.01.2022 दिन गुरुवार समय 04:35 बजे नियत की जाती है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज में उपस्थित होकर जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें या अन्य प्रकार की जानकारी हेतु केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय कासगंज से कार्यालय समय 10:00 से 05:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्तें -

1. सभी बोली दाताओं को नीलामी से पूर्व केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज में जमानत धनराशि 3000.00 रुपये जमा करना होगा। नीलामी समाप्ति पर यदि उसके नाम नीलामी नही होती है तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
2. क्रेता नियमानुसार आयकर एवं स्टाम्प शुल्क जमा करेगें।
3. वृक्षों की कटाई आरम्भ करने से पूर्व सफल नीलामी प्राप्तकर्ता को अनुमति पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर समस्त धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही वृक्षों का कटान एवं निकासी की जा सकती है। यदि वह समस्त धनराशि नही जमा करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(क्रमशः)

4. वृक्षों की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय कासगंज में तथा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, कासगंज द्वारा नियमानुसार निर्धारित शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने के उपरांत ही वृक्ष को काटने की अनुमति प्राप्त होगी।
5. सभी वृक्षों की कटाई क्रेता द्वारा की जायेगी।
6. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् नीलामी प्राप्तकर्ता को वृक्षों तथा कटी हुई लकडी की देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. नीलामी प्राप्तकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अंतिम निकास की तिथि तक सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नही पहुँचाया जायेगा। नुकसान होने पर समस्त उत्तरदायित्व नीलामी प्राप्तकर्ता का होगा।
8. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोडी जायेगी तथा नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज को होगा।
9. माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज द्वारा बिना किसी कारण बताये उच्चतम बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
10. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना पत्र के साथ अपना आधार कार्ड / पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।
11. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज का होगा।
12. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में वृक्षों की नीलामी का विक्रय रद्द समझा जायेगा।

20/12/2021

दिनांक 20.12.2021

(विजेश कुमार)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0 1, कासगंज।